ग्राम पंचायत मिन्ता, विकास खण्ड फतेहपुर जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176022 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मिन्ता, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री सुषील कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री शाम लाल	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति मोनिका शर्मा	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री बहादुर सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत मिन्ता के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना	0.02
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	4.18
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.24
4	6.2	विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.06
5	7	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती न करना	1.48
6	9.1	निर्माण कार्यों के लिये क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में अधिक/अनियमित भुगतान की अंकेक्षणापत्ति उपरान्त वसूली करना	0.22
7	9.2	निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु गलत गणना के फलस्वरूप अधिक भुगतान की अंकेक्षणापत्ति उपरान्त वसूली करना	0.13

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत मिन्ता के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02.07.2024 से 09.07.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्वः स्त्रोत व अनुदानों, 14वां वित्त हस्तगत तथा 15वां वित्त ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय

की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	03 / 2023	09 / 2022
2023–24	12 / 2023	06 / 2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01 / 04 / 2022 से 31 / 03 / 2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600 / – आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा / अं.वृ.का. / 2024 / 295 दिनांक 09.07.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक रैहन के मल्टीसिटी चैक संख्या 586741 दिनांक 10.07.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अं.वृ.का. / 2024 / 281 दिनांकः–02.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम

पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया है:–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2022-23	335098.50	611042.35	946140.85	598486.00	347654.85
2023-24	347654.85	968475.00	1316129.85	807895.00	508234.85

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कॉलम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कॉलम 4–5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1902484.35	3552756.00	5455240.35	4821054.35	634186.00
2023-24	634186.00	3422821.30	4057007.30	3639235.00	417772.30

कुल योग (1+2) 508234.85 +417772.30 **=926007.15**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत व ऑनलाईन रोकड बहियों/वित्तीय स्थिति से ₹9,26,007.15 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार अन्तशेष ₹9,27,607.15 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्तशेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत/तीसरा वित्त/एस.डी.पी/सी.एस.सी	का•के•सह•बैंक रैहन	20051007701	509834.85
2	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक रैहन	50051973579	0
3	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	एच•डी•एफ•सी•बैंक जस्सूर	50100367791211	417772.30

हस्तगत शेष	0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः–	₹927607.15
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–	₹926007.15
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–	₹927607.15
अन्तरः–	₹1600

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹0.02 लाख का अन्तर पाया जानाः–

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मिन्ता द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत व ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेषों में राशि ₹1600/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अं0वृ0कां/2024/286 दिनांकः 04.07.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPM/04/2024 Dated/09/07/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी

तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाइ सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत मिन्ता द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग–अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानों जैसे कि तीसरा वित्त, एस.डी.पी, सी.एस.सी इत्यादि की सयुंक्त हस्तगत रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः स्त्रोत, तीसरा वित्त, एस.डी.पी व सी.एस.सी आदि शीर्षों के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्व संयुक्त खाता संख्या 20051007701 खोला गया तथा इस खाते में ही प्राप्त अनुदानों को जमा किया गया तथा इससे ही व्यय किया गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अं0वृ0कां/2024/294 दिनांकः–09.07.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या GPM/04/2024

Dated/09/07/2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि खाता–क़ व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान की राशि ₹4.18 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

ANNUAL REPORT

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/281 दिनांकः 02.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹4,17,772/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	15वाँ वित्तायोग	31.03.2024	417772.30
		कुल जोड	**417772.30**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/287 दिनांक–04.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPM/04/2024 Dated/09/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग

अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरान्त अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.24 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

ANNUAL REPORT

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/281 दिनांकः–02.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत

परिशिष्ट ''4'' पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹23920/–** की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर राशि का बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर जो अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया वह पूर्णत अवस्था में नहीं था, उसमें कुल परिवारों की दर्ज प्रविष्टियों को भी नहीं दर्शाया गया था तथा नहीं अंकेक्षण अवधि का कुल ब्यौरा अर्थात गोवारा इत्यादि भी तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में **परिशिष्ट ''4''** पर दर्शाए गए दिनांक 01.04.2022 को अथशेष व दिनांक 31.03.2024 को सम्पति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/288 दिनांकः–04.07.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPM/04/2024 Dated/09/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली को करने उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा। प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा सम्पति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को पूर्ण अवस्था में तैयार करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

ANNUAL REPORT

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका व संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार ग्राम पंचायत मिन्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1.	2022–23	3400
2	2023–24	2400
	जोड	**5800**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अं0वृ0कां/2024/288 दिनांकः–04.07.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत मिन्ता के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–GPM/04/2024 Dated/09/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र

सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹1.48 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः–

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–''6''** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹147560/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अं0वृ0कां/2024/292 दिनांकः–08.07.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPM/04/2024 Dated/09/07/2024 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों हेतू गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत, बजरी, बोल्डर से सम्बन्धित एम फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त सामग्री से रॉयल्टी की राशि की कटौती भी नहीं की गई है। अंकेक्षणापतिनुसार उक्त रॉयल्टी की राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार/व्यक्ति से कर ली जायेगी। उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक ''0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipt' आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वस्तुस्थिति, नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹3.86 लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

ANNUAL REPORT

सचिव **(RD&PR)** हि० प्र० सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के अंतर्गत निम्नविवरणानुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदायें आमंत्रित करके किया गया था तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान "It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction." बारे दिशा–निर्देशों की अनुपालना के सन्दर्भ में निर्माण कार्यों हेतु कार्यवाही अमल में लाई गई थी। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि (₹)
1	15TH FC	02/P/2/12.06.2023	06/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No 311 dt.-09.06.2023	775	13950
2	15TH FC	02/P/2/12.06.2023	06/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.310 dt.-09.06.2023	2500	45000
3	15TH FC	02/P/2/12.06.2023	06/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.309 dt.-09.06.2023	2500	45000
4	15TH FC	06/26.06.2023	06/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.318 dt.-24.06.2023	2400	43200
5	15TH FC	06/26.06.2023	06/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.317 dt.-24.06.2023	2500	45000
6	15TH FC	06/26.06.2023	06/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.315 dt.-24.06.2023	2500	45000
7	15TH FC	06/26.06.2023	06/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.316 dt.-23.06.2023	2500	45000
8	15TH FC	09/26.06.2023	06/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.314 dt.-27.06.2023	775	13950
9	15TH FC	10/26.06.2023	06/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.313 dt.-22.06.2023	2500	45000

10	15^{TH} FC	10/26.06.2023	06/2023	60mm(Paver Block) from M/s Krishna Interlocking Tiles Jhawan Bill No.312 dt.-22.06.2023	2500	45000
					योग	**386100**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/293 दिनांकः–08.07.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा पत्र संख्याः– GPM/04/2024 Dated/09/07/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त व्यय को पत्र में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें।

ANNUAL REPORT

9.1 15वें वित व मनरेगा अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये क्रय सामग्री के समुचित लेखांकन के अभाव में ₹0.22 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान करना :–

1. निर्माण नाली झडोली वार्ड–3 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 26856 के पृष्ठ संख्या 98 व 99 में निर्माण सामग्री रेत का माप पुस्तिका अनुसार निष्पादन कम किया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 181 दिनांकः–05.09.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री रेत 10m3 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप कम मूल्यांकन व सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹4000 का अधिक भुगतान किया गया था।

2. निर्माण जीपेवल पक्का रास्ता सुकरो देवी के घर से खड तक वार्ड–4 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 26944 के पृष्ठ संख्या 85 व 97 में निर्माण सामग्री रेत व बजरी का माप पुस्तिका अनुसार

निष्पादन कम किया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 63 दिनांक 28.05.2022 व बिल संख्या 94 दिनांक 01.07.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री रेत 18m3, बजरी 26m3 का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप कम मूल्यांकन व सामग्री की अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के कारण ₹18200 का अधिक भुगतान किया गया था:–

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यों पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि (₹)
1.	15वां वित	रेत	10m3	7.50m3	2.5 m3	1600	4000
2.	मनरेगा	रेत बजरी	18m3 26m3	11m3 21m3	7 m3 5 m3	1600 1400	11200 7000
					जोड		*22200*

वास्तविक खपत योग्य सामग्री का विवरण :–

1 Item-2 P/L(1:3:6) =05.88m3X 0.47(Sand. Factor) +5%(Variations) =2.90m3
Item-5 P/L(1:4:8) =09.33m3X 0.47(Sand Factor)+5%(Variations) =4.60m3
Total =7.50

2.Item-4 P/L(1:6:12) =11.16m3X 0.47(Sand. Factor) +5%(Variations) =5.51m3
Item-2 P/L(1:2:4) =6.90m3X 0.47(Sand Factor)+5%(Variations) =3.41m3
Item-1 P/L(1:6:12) =4.14m3X 0.47(Sand Factor)+5%(Variations) =2.04m3
Total =10.96m3 or say 11m3

Item-4 P/L(1:6:12) =11.16m3X 0.89(Agg. Factor)+5%(Variations) =10.43m3
Item-2 P/L(1:2:4) =06.90m3X 0.89(Agg. Factor)+5%(Variations) =06.45m3
Item-2 P/L(1:6:12)=4.14m3X 0.89(Agg. Factor)+5%(Variations) =03.87m3
Total =20.74m3 or say 21m3

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/289 दिनांकः–06.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 0833642 द्वारा करने उपरान्त दिनांकः–18.07.2024 को सभा निधि खाता संख्या 20051007701 में जमा करवा दिया गया है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों सम्बन्धी अदायगियाँ नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों के नमूना परीक्षण एवं सत्यापना उपरान्त ही की जानी सुनिश्चित की जाये।

9.2 **मनरेगा अनुदान से निर्माण कार्य के लिये गलत गणना द्वारा सामग्री खरीद हेतु ₹0.13 लाख का अधिक भुगतान करनाः–**

1. निर्माण कार्य भूमि कटाव रोकने हेतू सुरक्षा दीवार विजय s/o करम चन्द की जमीन भटोली मिन्ता वार्ड– 2 की रिकार्ड प्रविष्टियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 26944 के पृष्ठ संख्या 82 में करवाये गये निर्माण कार्य हेतु, खपत की गई सामग्री हेतु किये गये कार्य का मूल्यांकन गलत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 3m3 रेत व 6.13 m3 बजरी की अधिक खपत निम्न विवरणानुसार दर्शाई गई थी :–

मद सं.	मद का नाम	निष्पादित मात्रा	खपत योग्य सामग्री	खपत की गई सामग्री	अंतर	दर (₹)	राशि (₹)
3	P/L(1:5:10)	11.396	रेत– 2m3 बजरी–3.87m3	रेत– 5m3 बजरी–10 m3	3 m3 6.13m3	1600 1400	4800 8582
					कुल		13382

1. Item-3 P/L(1:5:10)-Assessment Qty.(Wrong Calculation) taken as per MB =11.396m3
Actual Assessment =4.15m3
Difference(ExcessTaken) =7.25m3

अतः अधिक रेत व बजरी की गई अधिक खपत के कारण ग्राम पंचायत द्वारा ₹13382 का अधिक भुगतान किया गया। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/290 दिनांकः– 06.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसकी वसूली रसीद संख्या 0833643 द्वारा करने उपरान्त दिनांकः–18.07.2024 को सभा निधि खाता संख्या 20051007701 में जमा करवा दिया गया है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कदम उठाये जाने सुनिश्चित किये जायें।

9.3 **आमंत्रित निविदाओं में अनुमोदित निविदा दर की तुलना में अधिक दर से ₹800/– का अधिक भुगतान करना :–**

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया

जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान से निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया थाः–

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.15वां वित	38/पी 42/26.09. 2022	मै0 संजीव बर्तन एण्ड हार्डवेयर स्टोर रैहन	पी.वी.सी पाईप	39000 (15@2600)	398000 (15@2653.33)	800
					जोड	800

उपरोक्त बिल/वाउचर की आंमत्रित निविदाओं में अनुमोदित निविदा दर से भुगतान न करके अधिक दर से ₹800/– का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/294 दिनांकः– 09/07/2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया।

जिसकी वसूली रसीद संख्या 0833645 द्वारा करने उपरान्त, खाता संख्या 20051007701 मे दिनांक 18.07.2024 को जमा करवा दिया गया है। जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु कारगार कदम उठाये जायें।

10 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹25.87 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 09/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹25,86,878/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक अनियमितता है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/294 दिनांकः–09.07.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत मिन्ता के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPM/04/2024 Dated/09/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्व किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या ''8'' के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैः–

1.नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के ''परिशिष्ट – ई'' में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2.. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

3. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4. ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गए विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34, जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है, उन्हें भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अं0वृ0कां/2024/294 दिनांकः– 09.07.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मिन्ता को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPM/04/2024 Dated/09/07/2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है तथा विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रपत्र–34 को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया इन्हे तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/281 दिनांकः 02.07.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के अपने कार्यालय पत्र संख्याः— GPM/04/2024 Dated/09/07/2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेष रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	....
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विषेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अं0वृ0कां/2024/281 दिनांकः–02.07.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायंत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– GPM/04/2024 Dated/09/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

14.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–

रसीद बुकों के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा था । इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद

बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही पूर्ण अंकेक्षण जाँच संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत मिन्ता द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत मिन्ता के चयनित मासों के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः**— लेखों के रख—रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

15 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

4928-4932 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)425/2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मिन्ता, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

15 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/प्रति

ANNEXURE -1 पैरा संख्या 4.2(ख)

FINANCIAL POSITION OF GP MINTA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	335098.50	611042.35	946140.85	598486.00	347654.85
2023-24	347654.85	968475.00	1316129.85	807895.00	508234.85

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1902484.35	3552756.00	5455240.35	4821054.35	634186.00
2023-24	634186.00	3422821.30	4057007.30	3639235.00	417772.30

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Minta
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP MINTA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	14TH FC	2022-23	786452.35	3958.00	790410.35	790410.35	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1116032.00	1153503.00	2269535.00	1635349.00	634186.00
		2023-24	634186.00	1844626.30	2478812.30	2061040.00	417772.30
3	MNREGA	2022-23	0.00	2395295.00	2395295.00	2395295.00	0.00
		2023-24	0.00	1578195.00	1578195.00	1578195.00	0.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Minta
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.

25

परिशिष्ट–3 पैरा संख्या 4.2 (ख)

कार्यालय ग्राम पंचायत मिन्ता विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176022

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत मिन्ता के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / तीसरा वित / एस.डी.पी / सी.एस.सी	का•के•सह•बैंक रैहन	20051007701	335098.50	509834.85
2	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक रैहन	50051973579	786452.35	0
3	15वाँ वित्त / पी.एस / जेड.पी	एच•डी•एफ•सी•बैंक जस्सूर	50100367791211	1116014.30	417772.30
	हस्तगत (हस्तगत रोकड.बही के अनुसार)				0
			कुल जोड.	2237565.15	927607.15

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Minta
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.)

checked

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या – "6.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत मिन्ता विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176022

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 600 तथा 2023–24 में 624 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022–23	112980	600	30	18000	130980	112820	18160
2023–24	18160	624	50	31200	49360	25440	23920
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि **₹23920**/– है।						

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Minta
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.)

checked

परीशिष्ट – 5 (पैरा संख्या "6.2")

कार्यालय ग्राम पंचायत मिन्ता

विकास खण्ड एवं तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

प्रस्ताव संख्या........ अध्यक्षता .... उपस्थिति .... दिनांक........

विषयः........

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क निम्न तालिका अनुसार अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक प्राप्त किया गया

क्रम सं०	अवधि	राशि
1	2022-23	3400-00
(2)	2023-24	2400-00
	कुल =	5800-00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Minta
Dev. Block Fatehpur Kangra (H.P.)

do	15/28.06.	100/12.05	Stone	12.000		
do	20/28.06	100/	Stone	12.00	1.52	10.0

परिशिष्ट-6 (पैरा संख्या-"7.2")

पंचायत मिन्ता खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty.	Royality (Per MT.)	Due Royality
SDP,15TH FC,MNREGA								
M/s Neeraj Sharma Jharoli Larhoon	17/29.09.2022	97/17.07.2022	Sand	6.000	1.62	9.720	80	777.60
			Bajri	4.000	1.52	6.080	80	486.40
			Stone	8.000	2.24	17.920	80	1433.60
do	35/26.09.2022	99/16.08.2022	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	8.000	1.52	12.160	80	972.80
do	37/26.09.2022	100/01.09.2022	Sand	11.000	1.62	17.820	80	1425.60
			Bajri	4.000	1.52	6.080	80	486.40
do	40/26.09.2022	181/05.09.2022	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	10.000	1.52	15.200	80	1216.00
do	33/01.09.2022	93/09.06.2022	Sand	7.000	1.62	11.340	80	907.20
			Bajri	18.000	1.52	27.360	80	2188.80
			Stone	10.000	2.24	22.400	80	1792.00
do	36/01.09.2022	63/28.05.2022	Sand	8.000	1.62	12.960	80	1036.80
			Bajri	12.000	1.52	18.240	80	1459.20
do	37/01.09.2022	94/01.07.2022	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	14.000	1.52	21.280	80	1702.40
do	40/01.09.2022	46/23.03.2022	Sand	12.000	1.62	19.440	80	1555.20
			Bajri	19.000	1.52	28.880	80	2310.40
do	48/01.09.2022	48/02.04.2022	Sand	8.000	1.62	12.960	80	1036.80
			Bajri	10.000	1.52	15.200	80	1216.00
do	49/01.09.2022	51/09.04.2022	Bajri	9.000	1.52	13.680	80	1094.40
do	51/01.09.2022	60/05.05.2022	Sand	5.000	1.62	8.100	80	648.00
			Bajri	10.000	1.52	15.200	80	1216.00
do	53/01.09.2022	50/06.04.2022	Sand	8.000	1.62	12.960	80	1036.80
			Bajri	10.000	1.52	15.200	80	1216.00
do	54/01.09.2022	56/10.04.2022	Bajri	9.000	1.52	13.680	80	1094.40
do	56/01.09.2022	47/27.03.2022	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	16.000	1.52	24.320	80	1945.60
do	57/01.09.2022	52/17.04.2022	Sand	12.000	1.62	19.440	80	1555.20
			Bajri	22.000	1.52	33.440	80	2675.20
do	01/28.06.2023	116/13.11.2022	Sand	12.000	1.62	19.440	80	1555.20
			Bajri	16.000	1.52	24.320	80	1945.60
			Stone	10.000	2.24	22.400	80	1792.00
do	02/28.06.2023	119/10.12.2022	Sand	8.000	1.62	12.960	80	1036.80
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
			Stone	10.000	2.24	22.400	80	1792.00
do	04/28.06.2023	109/10.10.2022	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
do	05/28.06.2023	110/25.10.2022	Sand	5.000	1.62	8.100	80	648.00
			Bajri	10.000	1.52	15.200	80	1216.00
do	08/28.06.2023	120/15.12.2022	Sand	13.000	1.62	21.060	80	1684.80
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
do	09/28.06.2023	124/27.12.2022	Sand	7.000	1.62	11.340	80	907.20
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
do	12/28.06.2023	114/03.11.2022	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	14.000	1.52	21.280	80	1702.40
do	13/28.06.2023	115/05.11.2022	Sand	3.000	1.62	4.860	80	388.80
			Bajri	10.000	1.52	15.200	80	1216.00
do	15/28.06.2023	102/09.09.2022	Sand	14.000	1.62	22.680	80	1814.40
			Bajri	12.000	1.52	18.240	80	1459.20
			Stone	12.000	2.24	26.880	80	2150.40
do	16/28.06.2023	106/15.09.2022	Sand	20.000	1.62	32.400	80	2592.00
			Bajri	4.000	1.52	6.080	80	486.40
			Stone	18.000	2.24	40.320	80	3225.60
do	17/28.06.2023	107/18.09.2022	Sand	5.000	1.62	8.100	80	648.00
			Bajri	12.000	1.52	18.240	80	1459.20
	19/28.06.	103/12.09	Sand	14.000	1.62	22.680	80	1814.40

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Minta
Dev Block Fatehpur Kangra(H.P.)

do	19/28.06. 2023	105/12.09 .2022	Bajri	12.000	1.52	18.240	80	[illegible]
			Stone	12.000	2.24	26.880	80	[illegible]
do	20/28.06. 2023	108/25.09 .2022	Sand	18.000	1.62	29.160	80	2332.80
			Bajri	10.000	1.52	15.200	80	1216.00
do	21/28.06. 2023	127/01.02 .2023	Sand	12.000	1.62	19.440	80	1555.20
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
do	30/28.06. 2023	123/26.12 .2022	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
do	23/28.06. 2023	112/15.12 .2022	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
do	25/28.06. 2023	122/21.12 .2022	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
			Stone	7.000	2.24	15.680	80	1254.40
do	26/30.06. 2023	126/31.12 .2022	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	18.000	1.52	27.360	80	2188.80
do	27/28.06. 2023	121/18.12 .2022	Sand	13.000	1.62	21.060	80	1684.80
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
do	28/28.06. 2023	125/29.12 .2022	Sand	7.000	1.62	11.340	80	907.20
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80	2432.00
							Total	**118048.00**
							25% Penalty	**29512.00**
							G.Total	**147560.00**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Minta
Dev. Block Fatehpur Kangra